रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

पंजीयन प्रमाणपत्र

पंजीकरण का विवरण	
ई पंजीकरण संख्या	MP09592020A1859048
पंजीकरण की तिथि	18/12/2020
ई-पंजीयन प्रमाणपत्र के प्रिन्ट करने की तिथि	30/12/2020
संपत्ति का मूल्य(यदि लागू है)	--
प्रतिफल राशि / प्रतिभूत राशि / प्रीमियम राशि (रुपये)	NA
पंजीयन शुल्क (रूपये)	500
कुल स्टाम्प शुल्क (रूपये)	1000
उप पंजीयक का नाम	ANAND SHRIVASTAVA
उप पंजीयक कार्यालय का नाम	उप पंजीयक कार्यालय दतिया

ट्रस्टी - स्वयं

संगठन का नाम दया भावना फाउंडेशन
अधिकृत व्यक्ति का नाम अनुपम चौधरी जैन
पता सोनागिर(सिनावल)475685तहसील बडौनी जिला दतिया म०प्र० , दतिया, मध्य प्रदेश, भारत

संगठन का नाम दया भावना फाउंडेशन
अधिकृत व्यक्ति का नाम शैलेन्द्र जैन
पता सोनागिर(सिनावल)475685 तहसील बडौनी जिला दतिया म०प्र० , दतिया, मध्य प्रदेश, भारत

संगठन का नाम दया भावना फाउंडेशन
अधिकृत व्यक्ति का नाम महावीर जैन
पता सोनागिर(सिनावल)475685तहसील बडौनी जिला दतिया म०प्र० , दतिया, मध्य प्रदेश, भारत

Digitally signed by
ANAND
SWAROOP
SHRIVASTAVA
Date: 2020.12.30
16:03:53 IST

उप पंजीयक के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

स्टाम्प शुल्क का प्रमाण पत्र

ई स्टाम्प विवरण	
ई स्टाम्प कोड	01010918122020008704
ई स्टाम्प राशि (रुपए)	1000
शासकीय स्टाम्प ड्यूटी (रुपए)	1000
नगर पालिका ड्यूटी (रुपए)	0
जनपद ड्यूटी (रुपए)	0
उपकर राशि (रुपए)	0
छूट दी गई राशि (रुपए)	0
ई स्टाम्प का प्रकार	गैर न्यायिक
निर्गमन तिथि एवं समय	18/12/2020 14:32:57
यूजर आईडी / जारीकर्ता	lalta prasad kori/SP010944607202000070
एस पी / एस आर ओ / डी आर ओ / एच ओ विवरण	बार्ड क्र० 2 बस स्टैंड के पास बडौनी तहसील बडौनी जिला दतिया म०प्र० BADONI दतिया

डीड विवरण	
विलेख का प्रकार	न्यास
लिखत	(ख) किसी अन्य मामले मे; एक हजार रूपए.
उद्देश्य	न्यास(ट्रस्ट)

पहले पक्ष के विवरण	
संगठन का नाम	दया भावना फाउंडेशन
पता	सोनागिर(सिनावल)475685तहसील बडौनी जिला दतिया म०प्र०
व्यक्तियों की संख्या	3

दूसरे पक्ष के विवरण	
नाम	--
पता	--
व्यक्तियों की संख्या	--

ट्रस्ट का घोषणा पत्र --------------------ट्रस्ट का यह घोषणा पत्र आज दिनांक 1.12.2020 को (1) अनुपम चौधरी जैन आयु 46 वर्ष पुत्र श्री एन.आर.चौधरी निवासी R17 न्यू कुशलनगर,गाँधीनगर के पास पड़ाव ग्वालियर तहसील ब जिला ग्वालियर म०प्र० (2)शैलेन्द्र जैन आयु 54 वर्ष पुत्र कपूरचन्द्र जैन निवासी गल्लामण्डी मुरार ग्वालियर तहसील ब जिला

ग्वालियर म०प्र० (3)महावीर जैन आयु 56 वर्ष पुत्र शंकरलाल जैन निवासी गंगा माई मोहनपुर संतर मुरार ग्वालियर तहसील ब जिला ग्वालियर म०प्र० |
आधार क्र०701673686160,326082947598,520829400731

ट्रस्ट का घोषणापत्र :--इन उपविधियो(बायलाज)का सृजन "दया भावना फाउंडेशन" हेतु किया गया है| "दया भावना फाउंडेशन" आचार्य विद्यासागर के परम शिष्य मुनि श्री अविचलसागरजी महाराज जी के मंगल भावना,प्रेरणा व् आशीर्वाद से सभी न्यासी गणों की सहमती से सृजन किया जा रहा है और इन्ही उपविधियो के अंतर्गत न्यास का संचालन किया जाता रहेगा |

अतएव यह उपविधियां आज दिनांक 01/12/2020 को न्यासीगणों के द्वारा "दया भावना फाउंडेशन"के विधान के रूप में स्वीकार की जाकर घोषित किया जाता है|

तदुपरांत संस्थापकगण ने इस घोषणा पत्र में उल्लेखित ट्रस्टियो को ट्रस्ट फंड की रकम रूपये 11000/-(अक्षरी ग्यारह हजार रुपया) नगद में इस लेख का निष्पादन कर न्यास के संचालनार्थ दे दिये है |

अत:इस लेख द्वारा घोषित किया जाता है कि :-

1.ट्रस्ट का नाम :--"दया भावना फाउंडेशन"

2.ट्रस्ट कार्यालय का पता :-"दया भावना फाउंडेशन" सोनागिर (सिनावल) 475685 तहसील बडौनी जिला दतिया म०प्र० |

3.ट्रस्ट का प्रारंभ :-
ट्रस्ट का प्रारंभ दिनांक 01/12/2020 से माना जावेगा तथा इसी दिनांक से न्यास एंव उसके अंर्तगत बनाये गये सभी नियम लागू माने जावेंगे |

4.ट्रस्ट का कार्यक्षैत्र :--
ट्रस्ट का कार्यक्षैत्र सम्पूर्ण भारत रहेगा|

5.ट्रस्ट की निधि एंव सम्पत्ति :--
वर्तमान में ट्रस्ट की निधि रूपये 11000/-रु० (ग्यारह हजार रुपया)होगी,उक्त ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समय समय पर प्राप्त होने वाली राशि जो कि दान सहायता या अन्य रूप से ट्रस्ट निधि के लिए प्राप्त होगी,वह ट्रस्ट की निधि मानी जाबेगी |इस घोषणा पत्र में आगे ट्रस्टिज अथवा किसी भी प्रकार के मेम्बर से प्राप्त प्रारंभिक राशि अथवा जीवनकाल सदयस्ता शुल्क भी ट्रस्ट की निधि मानी जाबेगी| ट्रस्टीगण का यह कर्तव्य होगा,कि वे मूलधन को यथा संभव सुरक्षित रखकर उससे होने वाली आय,किराया,ब्याज,डिबिडेड,दान सहायता या अन्य प्रकार से प्राप्त आय से ट्रस्ट कि व्यवस्था हेतु खर्च एंव ट्रस्ट प्रापर्टी के कर एंव मेंटेनेस पर खर्च,क़ानूनी खर्च,टेक्सेस आदि का भुगतान कर बाकी राशि अधिकतम रूप से ट्रस्ट उद्देश्यों कि पूर्ति हेतु खर्च

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

प्रस्तुति मुद्रा :

दया भावना फाउंडेशन

प्रतिनिधित्व:- अनुपम चौधरी जैन

के द्वारा उप जिला दतिया
जिला दतिया के उप पंजीयक कार्यालय में तारीख 18/12/2020 को मध्यान्ह पूर्व/मध्यान्ह पश्चात 06:09:40 बजे प्रस्तुत किया गया।

ANAND SHAROOP
SHRIVASTAVA
उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय दतिया

MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS
MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS
P-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS

करेंगे |

6.ट्रस्टीज :--

क्र०	नाम पिता/पति का नाम	पता	व्यवसाय	पद
1.	महावीर जैन पुत्र शंकरलाल जैन	गंगा माई संतर मुरार ग्वालियर	व्यवसाय	मुख्यट्रस्टी
2.	अनुपम चौधरी जैन पुत्र एन.आर.चौधरी	कुशलनगर पड़ाव ग्वालियर	व्यवसाय	कोषाध्यक्ष
3.	शैलेन्द्र जैन पुत्र कपूरचन्द जैन	गल्लामण्डी मुरार ग्वालियर	व्यवसाय	महामंत्री (सचिव)

ये सभी प्रारंभिक "फाउन्डर ट्रस्टी" कहलायेंगे |

7.ट्रस्ट के उद्धेश्य :--
इस ट्रस्ट के निम्नलिखित उद्धेश्य होंगे :-

1.समाज सेवा एंव समाजजन के हित में
2.शिक्षा,शिक्षा का प्रशिक्षण एंव शिक्षा कि खोज के विभन्न भागो और शाखाओ को संचालित एंव संगठित करने के लिए सहायता प्रदान करने,जिसमे ओषधि संबंधी (मेडिकल)महाविद्यालय,दंत महाविद्यालय,चिकित्सालय,पेरामेडिकल एंव वैकल्पिक चिकित्सा महाविद्यालय,नर्सिंग स्कुल एंव कालेज,भारतीय चिकित्सा पद्धति महाविद्यालय (आयुर्वेद)होम्मोपेथी और अल्टरनेट मेडिसिन एंव प्राइमरी व् सेकेंडरी स्वास्थ्य केन्द्रों को स्थापित करना तथा प्राकृतिक चिकित्सालय स्थापना एंव उनका संचालन करना,सुपरस्पेशल स्वास्थ्य सेवाएँ जिसमें डाईग्रोस्टिक,थेराप्युटिक,पैथालाजी,पिवेन्टिव,मेटरनिटी,ओपरेटिव एंव अन्य समस्त मेडिकल एंव चिकित्सयकी सुविधाएं सम्मिलित है,इत्यादि कि स्थापना,संचालन एंव अधिग्रहण करना |

3.कन्या विद्यालय छात्रवास,मेडिकल हास्पिटल एंव इससे संबंधित समस्त गतिविधियो की स्थापना,संचालन एंव प्रबन्ध करना|

4.समाज के अन्य कमजोर भागो को प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य,शिक्षा एंव कल्याण से संबन्धित सुविधाए प्रदान करना |

MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

निष्पादन की मुद्रा :

दया भावना फाउंडेशन	प्रतिनिधित्व:-	महावीर जैन	पता: सोनागिर(सिनावल)475685तहसील बडौनी जिला दतिया म०प्र०

स्वीकार करते हैं कि कथित न्यास विलेख का निष्पादन किया गया था और प्रतिफल के पूर्ण रूपए 0 प्राप्त हो गये हैं तथा रूपए 0 उन्हें मेरी उपस्थिति में चुकाये गये थे और प्रतिफल की बकाया रकम रूपए 0 बच गयी है, जो पंजीयन के बाद प्राप्त होगी । तारीख 18/12/2020

ANAND SHAROOP
SHRIVASTAVA
उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय दतिया

MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS
MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS
P-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS

5.समाज के गरीब एंव प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को अध्ययन एंव शिक्षण हेतु छात्रवृत्ति देना,विद्धार्थियो के लिए छात्रावास की स्थापना करना|योग्य छात्रों को निशुल्क पुस्तकें देना,गरीब व् जरूरतमंद मरीजो/ब्यक्तियो की चिकित्सा के लिए विशेष फंड की व्यवस्था करना एंव उन्हें चिकित्सा उपलब्ध कराना| कामकाजी महिलाओ,शिक्षको,कर्मचारियों एंव कार्यालय के वाहको के लिए होस्टल एंव निवास की व्यवस्था करना |

6.धार्मिक पत्र-पत्रिका,समाचार पत्र,किताबें एंव पेंम्लेटस को छापना एंव प्रकाशित करना एंव ट्रस्ट के उद्धेश्यो एंव लक्ष्यों पर अतिरिक्त तरीको से सामयिक भाषण,सभाएँ आयोजित करना |

7.किसी भी ब्यक्ति,निगम,सरकार या सामजिक हितार्थ हेतु ट्रस्ट से नगद या किसी भी रूप में चंदा,दान,उपहार या वसीयत प्राप्त कर सकती है |

8.ट्रस्ट के उद्धेश्यो की पूर्ति के लिए भूमि,प्लाट,भवन खरीदना,लीज या किराये पर प्राप्त करना,विनियम द्वारा प्राप्त करना,दान में प्राप्त करना अथवा इनके निर्माण हेतु फंड स्थापित करना |

9.ट्रस्ट द्वारा अपनी किसी भूमि या मैदान को उपयोगी,योग्य बनाने हेतु निर्माण करना या अपनी किसी अचल सम्पत्ति को किराये पर देना,मरमम्त करना,उसमे ब्रद्धि करना|

10.ट्रस्ट अपने एक लक्ष्य या एक अधिक लक्ष्य की पूर्ति के लिए दानकर्ता द्वारा बनाई गई,बगैर किसी शर्त के या किसी विशेष ट्रस्ट की शर्त पर दानकर्ता से नगद या किसी अचल सम्पत्ति के रूप में प्राप्त या स्वीकृत कर सकती है |

11.ट्रस्ट अपने फंड की प्राप्ति हेतु दान,वसीयत,वार्षिक पेमेंट आवश्यकता अनुसार समय समय पर सार्वजनिक सभा,अपील,प्रदर्शनी का आयोजन कर प्राप्त कर सकती है |

12.ट्रस्ट अपने अधिपत्य की सम्पत्तियों का विक्रय,व्यवस्था,स्थानातंरण,विनिमय,गिरवी,नष्ट या सौदा कर सकती है|

13.ट्रस्ट अपने अधिपत्य की चल या अचल सम्पत्तियों को गिरवी रखकर या अन्य किसी जमानत या बगैर जमानत पर ऋण लेकर अपनी धन राशि में ब्रद्धि कर सकती है | 14.ट्रस्ट अपने फंड या अन्य किसी फंड का कुछ भाग,प्रारंभिक व्ययों एंव प्रबन्ध एंव प्रशासन से संबधित व्ययों जैसे किराया,वेतन एंव कर के रूप में व्यय कर सकती है |

15.ट्रस्ट अपने अधिपत्य की राशि का वर्तमान में जरूरत ना होने पर ट्रस्ट एंव आयकर अधिनियम के तहत निवेश कर सकती है एंव उसकी समय समय पर गणना कर सकती है |

16.ट्रस्ट किसी अन्य ट्रस्ट या संस्था जोकि पंजीकृत हो या ना हो ,किन्तु उनके उद्धेश्य हमारे उद्धेश्य के समान है पर अधिपत्य कर सकती है व् उसके साथ एकीकृत भी हो सकती है |

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

गवाह मुद्रा :

anilkumar verma	पुत्र/आत्मज rameshchandra	पता: badoni dist. datia
neeraj jain	पुत्र/आत्मज vijaykumar	पता: bundela colony datia

की जांच पूर्वोक्त निष्पादक / निष्पादकों की शिनाख्त के विषय में की गयी है । तारीख 18/12/2020

ANAND SHAROOP
SHRIVASTAVA
उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय दतिया

MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS
MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS
P-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS M

17.सामान्यता:ट्रस्ट अपने उद्धेश्यो के किसी भाग को संचालित करने हेतु या प्रासंगिक रूप से सभी अन्य अधिनयम,संलेखो और अन्य आवश्यक वस्तुओ को इकट्ठा कर सकती है |

18.कोई व्यक्ति भी पारमार्थिक कार्य करना अथवा पारमार्थिक प्रवृति को प्रोत्साहन हेतु संस्थाओ अथवा व्यक्तियो को सहायता एंव सहयोग प्रदान करना |

19.प्राकृतिक प्रकोप जैसे बाढ़,तूफान,भूकम्प,सुखा आदि से पीड़ित व्यक्तियो कि सहायता करना |

20.जिनालय,मन्दिर,धर्मशाला,यात्री आवास,भोजनालय,तिर्थनिर्माण करना,खेल मैदान आदि विकास कार्य करना,संरक्षित करना तथा संचालन करना |

21.भारत सरकार,राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त राशि,भूमि (लीज)का जीव कल्याण हेतु उपयोग करना,तिर्थनिर्माण करना |

22.ऐसे समस्त कार्य करना, आयकर अधिनयम 19६१ में चेरीटेबल एंव पारमार्थिक मान्य किए जाते हो|

23.आचार्य विध्यासागर गौशाला का संचालन करना तथा पशु,पक्षी,जीवजन्तु के कल्याणर्थ कार्य करना|

24.गजरथ,महामस्तकाभिषेक,महायज्ञ,पंचकल्याणक,जिनालय,
जैन मंदिरों का निर्माण करना तथा संत निवास,व्रती आवास,शुद्ध भोजनालय निर्माण करना एंव जैन अत्म संरक्षको के कल्याणर्थ कार्य करना|

(8)ट्रस्ट का आर्थिक वर्ष :--

इस ट्रस्ट का हिसाब वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च रहेगा |

(9)वर्किंग ट्रस्टीज :--

ट्रस्ट कि गतिविधियों को सुचारू रूप चलाने के लिए प.पु.मुनि श्री अविचलसागर जी महाराज जी को यह अधिकार होगा,कि वे किन्ही उपयुक्त व्यक्तियो को वर्किंग ट्रस्टीज के रूप में नियुक्त करें | ऐसे वर्किंग ट्रस्टीज का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा|

10.ट्रस्ट समिति :--

ट्रस्ट समिति के सदस्य इस ट्रस्ट के सभी स्थायी सदस्य रहेंगे|वर्किंग ट्रस्टीज ट्रस्ट समिति में विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में ट्रस्ट समिति कि बैठको में भाग ले सकेंगे एंव ट्रस्ट कि विभिन्न गतिविधियों में अपनी राय दे सकेंगे,किन्तु सभी निर्णय उपस्थित स्थायी ट्रस्टीज के बहुमत से एंव अंतिम निर्णय मुनि श्री अविचलसागर जी महाराज से लिए जायेंगे |

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

अंगुष्ठ चिन्ह मुद्रा :

इस दस्तावेज के निष्पादक अनुपम चौधरी जैन के अंगूठे का निशान मेरे द्वारा/मेरी उपस्थिति में दिनांक 18/12/2020 को लिया गया ।

ANAND SHAROOP
SHRIVASTAVA
उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय दतिया

इस दस्तावेज के निष्पादक शैलेन्द्र जैन के अंगूठे का निशान मेरे द्वारा/मेरी उपस्थिति में दिनांक 18/12/2020 को लिया गया ।

ANAND SHAROOP
SHRIVASTAVA
उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय दतिया

ट्रस्ट समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे :-1.अध्यक्ष 2.उपाध्यक्ष 3.महामंत्री 4.कोषाध्यक्ष 5.सह कोषाध्यक्ष

11.संशोधन :-इस ट्रस्ट पंजीयन से पूर्व एक दया भावना ट्रस्ट ग्वालियर के नाम व् कार्यालय-जैन मंदिर संतर मुरार ग्वालियर म०प्र० के पते पर एक ट्रस्ट डीड क्र० MP142592020A1143110 दिनांक 24/02/2020 को कार्यालय वरिष्ट उपपंजीयक ग्वालियर वृत-2 ग्वालियर में अशोककुमार जैन पुत्र श्री किशनलाल जैन निवासी मुरार ग्वालियर एंव आशीष जैन पुत्र श्री अमरचन्द्र जैन निवासी मुरारगिर्द ग्वालियर,शैलेन्द्रकुमार जैन पुत्र कपूरचन्द्र जैन निवासी गंज मुरार ग्वालियर,नरेन्द्र जैन पुत्र श्री हरीशचन्द्र जैन निवासी मुखर्जी नगर मुरार ग्वालियर,कन्हैयालाल जैन पुत्र श्री बृजलाल जैन निवासी गैस एजेंसी के पास मुरार ग्वालियर,प्रदीपकुमार जैन पुत्र नरेशकुमार निवासी दूध गली सदर बाजार मुरार ग्वालियर,के हस्ताक्षरो से संपादित की गई थी,उक्त ट्रस्ट डीड मुनि श्री 108 अविचलसागर जी महाराज की प्रेरणा से एंव उनके निर्देशानुसार पारमार्थिक कार्यो हेतु संपादित की थी,जिसमे मुख्य रूप से सोनागिर जिला दतिया में गौशाला का संचालन किया जाना प्रस्तावित था,लेकिन इस ट्रस्ट का मुख्यालय ग्वालियर होने के कारण कार्य करने में असुबिधा होने से उक्त ट्रस्ट को भंग/विघटन करते हुए सर्व समिति से तय कर उक्त ट्रस्ट द्वारा न्यासी प्रदीपकुमार जैन निवासी दूध गली सदर बाजार मुरार ग्वालियर के हस्ताक्षर से भूमि सर्वे नम्बर 582 रकबा 0.05 हे०,सर्वे न०591 रकबा 0.12 हे०,सर्वे न० 593 रकबा 0.11 हे०,सर्वे न० 594 रकबा 0.10 हे०,सर्वे न० 597 रकबा 0.07 हे० कुल किता 5 कुल रकबा 0.45 हे०स्थित ग्राम सिनावल पटवारी ह०न० 8 रा०नि०म० बडौनी तहसील बडौनी जिला दतिया में भू-अधिकार एंव ऋण पुस्तका क्र०L/E 521225 से जरिये ई-विक्रय पत्र क्र० MP09592020A1465903 दिनांक 10/08/2020 द्वारा क्रय की थी,चूँकि उक्त सम्पत्ति दया भावना ट्रस्ट ग्वालियर के नाम था|

,इसलिए उक्त विक्रय पत्र में नाम की विसंगति को दूर करने के लिए,उक्त दया भावना ट्रस्ट ग्वालियर एंव उसके द्वारा उपरोक्त क्रय सम्पत्ति को आज इस ट्रस्ट जो दया भावना फाउंडेशन बडौनी रोड सिनावल(सोनागिर)तहसील बडौनी जिला दतिया म०प्रके नाम से पंजीकृत कराया जा रहा है,जिसमे सम्पूर्ण चल-अचल सम्पत्ति समायोजित करते है,अब भविष्य में उक्त सम्पत्ति के समस्त अधिकार दया भावना फाउंडेशन के रहेंगे एंव पूर्व पंजीकृत दया भावना ट्रस्ट ग्वालियर पता मुरार ग्वालियर न्यास भंग किया गया है व् अब उसके न्यासीगणों का इस न्यास पर कोई हक़ एंव अधिकार नही होगा तथा भविष्य में किसी प्रकार के हक़ व् अधिकार अर्थात स्वत्व,स्वामित एंव अधिपत्य संबंधी किसी भी प्रकार के अधिकार के मांग नही कर सकेंगे |क्योकि आज से सम्पूर्ण सम्पत्ति दया भावना फाउंडेशन में समायोजित हो गई है,अब हम दया भावना ट्रस्ट ग्वालियर मुरार ग्वालियर का व् उसके न्यासियो का,इस न्यास व् उसकी सम्पत्ति व् नवीन न्यास व् उसकी सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार का हक़ व् अधिकार नही होगा|
अब भविष्य में दया भावना ट्रस्ट मुरार ग्वालियर म०प्र० के नाम से क्रय सम्पत्ति के स्वामी दया भावना फाउंडेशन बडौनी रोड सिनावल(सोनागिर)तहसील बडौनी जिला दतिया म०प्र० का होगा |

12.संरक्षक :-
ट्रस्ट समिति के स्थायी ट्रस्टीगण को यह अधिकार होगा,कि वे अपनी विभिन्न गतिविधियों के लिए उस गतिविधि से संबधित किसी योग्य ब्यक्ति को उस गतिविधि के लिए संरक्षक अथवा सलाहकार के रूप में नियुक्त

MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

अंगुष्ठ चिन्ह मुद्रा :

इस दस्तावेज के निष्पादक महावीर जैन के अंगूठे का निशान मेरे द्वारा/मेरी उपस्थिति में
दिनांक 18/12/2020 को लिया गया ।

ANAND SHAROOP
SHRIVASTAVA
उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय दतिया

गवाह मुद्रा :

anilkumar verma

neeraj jain

MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS
MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS
P-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS

MP09592020A1859048 | 01010918122020008704

करे,जिससे उस ब्यक्ति की योग्यता,अनुभव,ज्ञान एंव दक्षता का लाभ ट्रस्ट की उक्त गतिविधि के लिए मिल सके| अब आवश्यकता अनुसार ऐसे संरक्षक एंव सलाहकार को पारिश्रमिक या भत्ते भी दिए जा सकेंगे|

(अ)संरक्षक :--

प्रारंभ में ट्रस्ट के निम्नलिखित संरक्षक होंगे :--

1.डॉ निर्देश जैन आयु 40 वर्ष निवासी झाँसी उ०प्र०

2.राजेश जैन आयु 58 वर्ष निवासी बरुआसागर उ०प्र०

3.ताराचन्द जैन आयु 48 वर्ष निवासी कोटा राजस्थान

(ब)प्रारंभ में ट्रस्ट के निम्नलिखित परामर्शदाता होंगे :--

1.के.एल.जैन आयु 65 वर्ष निवासी ग्वालियर म०प्र०
2.नरेन्द्र जैन आयु 42 वर्ष निवासी ग्वालियर म०प्र०
3.आशीष जैन आयु 38 वर्ष निवासी ग्वालियर
4.विरेन्द्र जैन आयु 42 वर्ष निवासी ललितपुर उ०प्र०
5.पवन जैन (गंगवाल)आयु 50 वर्ष निवासी केवडी राजस्थान
6.रोहित जैन आयु 35 वर्ष निवासी ग्वालियर म०प्र०
7.राजकुमार जैन एडवोकेट पुरजा हाईकोर्ट ग्वालियर म०प्र०

(13)अध्यक्ष :-

1.ट्रस्ट की सभी बैठको की अध्यक्षता करना |
2.सदस्यता पर आये आवेदनों पर सर्व सम्मति से निर्णय करना|
3.ट्रस्ट के निर्धारित कार्यो पर ध्यान देना|
4.आवश्यकतानुसार समिति अथवा उपसमिति का निर्माण करना और उनका संचालन करना |
5.प.पु.मुनिश्री अविचलसागर जी महाराज जी के निर्देशों का पालन करना |

(14)उपाध्यक्ष :-

1.ट्रस्ट के सभी कार्यो का संचालन करना|
2.वितीय और अन्य कार्यो का संचालन करना |
3.ट्रस्ट की मीटिंग की व्यवस्था करना |
4.मीटिंग में सर्व सम्मति से पारित निर्णयों पर कार्य करना|
5.ट्रस्ट के कागज,बिल,पत्राचार,धन संबंधी प्रातियाँ भुगतान आदि कार्य करना|
6.प्रशासनिक व्यवस्था देखना|
7.प.पु.मुनिश्री अविचलसागर महाराज जी के निर्देशों का पालन करना|

MP09592020A1859048 | 01010918122020008704

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

स्टाम्प शुल्क मुद्राः

स्टाम्प शुल्क	1000
नगरीय शुल्क	0
जनपद पंचायत शुल्क	0
उपकर	0
अतिरिक्त शुल्क	0
चुकाया गया स्टाम्प शुल्क	1000

ANAND SHAROOP
SHRIVASTAVA
उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय दतिया

MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS
MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS
P-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS

(15)कोषाध्यक्ष :--
1.न्यास के विधियों का परिक्षण व् नियंत्रण रखेगा|
2.ट्रस्ट के सम्पूर्ण आय-व्यय पर कार्य देखना|
3.प्रत्येक माह ट्रस्ट का आय-व्यय ट्रस्टियो के सन्मुख रखना|
4.आर्थिक मामलो से संबंधी सर्व कार्य प्रणाली का संचालन करना |

(16)सहकोषाध्यक्ष :--
कोषाध्यक्ष की अनुपस्थितिओ में उनके कार्य देखना|

(17)परमसंरक्षक :-
ट्रस्ट के लिए 11 लाख रुपया देने वाले परमसंरक्षक होंगे,इसका निर्णय मुनिश्री अविचलसागर जी करेंगे |
(18)ट्रस्ट का संचलन :--
ट्रस्ट के संचालन हेतु ट्रस्टीज अधिनियम बनावेंगे,जोकि ट्रस्ट की बैठक में पारित किए जाबेंगे एंव इसके अनुसार ट्रस्ट की संचालन व्यवस्था की जाबेगी | ट्रस्टीगण चाहे तो अलग अलग कार्यो के लिए अलग अलग समिति बना सकेंगे और समिति का कार्य क्षैत्र तथा कार्य प्रणाली की व्यवस्था हेतु अधिनियम बना सकेंगे|

(19)ट्रस्ट समिति की बैठक एंव कोरम :--
ट्रस्टियो की बैठक वर्ष में एक बार अवश्य रूप से होगी| किन्तु अवश्यकता अनुसार कभी कभी 21 दिन पूर्व ट्रस्टियो को सुचना देकर की जा सकेगी| ट्रस्ट समिति की बैठक वर्ष में 2 बार अवश्य होगी| किन्तु आवश्यकता अनुसार वर्ष में कभी भी बुलाई जा सकेगी| जिसके लिए 7 दिन पूर्व सुचना देना आवश्यक होगा| सभी बैठको के लिए गणपूर्ति याने कोरम की संख्या 1/2 रहेगी| बैठक का कोरम पूरा ना होने की दशा में बैठक स्थगित होकर आधे घंटे के बाद कि जावेगी,यदि ऐसी बैठक के कोरम की उपस्थिति नही रही तो भी ट्रस्ट की बैठक विषय सूचि (एजेंडा)के अनुसार कार्य कर प्रस्ताव पारित किए जा सकेंगे|
ट्रस्ट की समस्त मीटिंगे मुनिश्री अविचलसागर जी महाराज के सानिध्य में होंगी और उनके ज्ञान में लाये बिना किसी भी प्रकार का निर्णय ट्रस्ट की बैठको में नही लिया जायेगा|

(20)ट्रस्ट के निर्णय :-
ट्रस्ट के सभी निर्णय बहुमत से लिए जाबेंगे एंव अंतिम निर्णय प.पु.मुनिश्री अविचलसागर जी महाराज के समक्ष ही होगा|
आवश्यकताअनुसार परिपत्र प्रस्ताव द्वारा भी निर्णय लिए जा सकेंगे,किन्तु निम्नलिखित कार्यो के लिए दो तिहाई बहुमत होना आवश्यक होगा :--
(1)अचल सम्पत्ति कि खरीदी एंव बिक्री करने वावत |
(2)किसी ट्रस्टी को ट्रस्टी पद से अलग करने के लिए |
(3)किसी ट्रस्टी को नियुक्त करने के लिए |
(4)ट्रस्ट डीड में संशोधन करना |
(5)चुनाव करना है या नही इसका निर्णय अविचलसागर जी महाराज द्वारा निर्णित होगा एंव चुनाव नही होने कि स्थिति में मुनि श्री अविचलसागरजी महाराज द्वारा मनोनीत को पद कार्य सौप दिया जाएगा|

MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS

(21)ट्रस्ट निधि का विनियोग :--
ट्रस्ट अपने उद्धेश्यो कि पूर्ति हेतु प्राप्त राशियों मेसे खर्च करने के पश्चात् जो शेष रकम रहेगी,वह राष्ट्रीयकृत बैंक,सहकारी बैंक में अथवा चल सम्पत्ति अथवा शासकीय प्रतिभूतियो में रहेगी,कोई भी ट्रस्टी अथवा समिति का सदस्य अथवा पदाधिकारी ट्रस्ट कि सम्पत्ति मेसे ब्यक्तिगत लाभ ट्रस्ट के नियमो के विरुद्ध नही ले सकेगा,ट्रस्टीगण ट्रस्ट निधि के विनियोग में रद्दोबदल(परिवर्तन)कर सकेंगे |किन्तु ऐसा सभी विनियोग समय समय पर लागू किसी भी ट्रस्ट एंव आयकर अधिनियम व् अन्य कानून के दायरे में रहकर ही किया जाबेगा |
(22)बैंक खाता :--
बैंक खाते का संचालन अध्यक्ष,मैनेजिंग ट्रस्टी एंव अन्य अधिकृत ब्यक्ति मेसे किन्ही भी दो के संयुक्त हस्तक्षर से किया जाबेगा |विभिन्न गतिविधियो के लिए यदि आवश्यकता हुई तो उक्त गतिविधि के नाम से विभिन्न बैंको में खाते खोले जा संकेंगे एंव उनके संचालन का अधिकार ट्रस्ट समिति में पारित प्रस्ताव के अनुसार किसी भी ब्यक्ति या ब्यक्तियो को ब्यक्तिगत या संयुक्त रूप से दिया जा सकेगा|
(23)ट्रस्ट पद की समाप्ति :--
ट्रस्ट पद की समाप्ति निम्नकारणों के मानी जावेगी :-
(अ)मृत्यु हो जाने पर |
(ब)पागल या अन्य प्रकार से अयोग्य हो जाने पर |
(स)नादान घोषित होने पर |
(द)त्यागपत्र देने तथा स्वीकृत होने पर |
(इ)यदि कोई ट्रस्टी ट्रस्ट का कार्य करने मे असमर्थ हुआ या कार्य करने में दिलचस्पी नही रखे तो ऐसी दशा मे समिति को यह अधिकार होगा की ऐसे ट्रस्टी महोदय को समिति से अलग कर दे,किन्तु इस कार्य के लिए दो तिहाई बहुमत अनिवार्य होगा |

(24)ट्रस्ट समिति के रिक्त स्थानों की पूर्ति :--
किसी भी ट्रस्टी का पद,कोई भी कारण से रिक्त होने उसकी पूर्ति ट्रस्टीगण प.पु.मुनि श्री अविचलसागर जी महाराज जी के सहमति से ट्रस्ट का पद भरा जाएगा|

(25)ट्रस्ट समिति के अधिकार एंव कर्तव्य :--
(अ)ट्रस्ट कि सम्पत्ति का संरक्षण करना|
(ब)ट्रस्ट के हित में संरक्षण हेतु यदि कोई क़ानूनी कार्यवाही करना पड़े,तो उसके लिए बकील,मुख्त्यार,कर्मचारी आदि की नियुक्ति करना तथा उनका पारिश्रमिक ठहराने एंव समय अनुसार भुगतान का अधिकार ट्रस्ट समिति को रहेगा |
(स)ट्रस्ट की लेना रकमों की बसूली करना और इस वावद भरपाई देने का अधिकार ट्रस्ट समिति को रहेगा|
(द)आर्थिक वाद के लिए पंच फैसले द्वारा निर्णय लेने के लिये भी ट्रस्ट समिति सक्षम रहेगी |
(इ)ट्रस्ट की व्यवस्था के लिये पदाधिकारी नियुक्त करने का अधिकार ट्रस्ट समिति को रहेगा |
(फ)ट्रस्ट की आमदनी,खर्च व सम्पत्ति के संबंध में किसी भी प्रकार के दस्तावेज लिखने का अनुबंध करने का,पावती देने का अधिकार मैनेजिंग ट्रस्टी को रहेगा |
(च)व्यवस्था हेतु उपनियम बनाने का अधिकार ट्रस्ट समिति को रहेगा |
(क)ट्रस्ट पदाधिकारीयो के रिक्त स्थान की पूर्ति करना |

(ख)ट्रस्ट के संचालन हेतु उपनियम बनना |
(ग)ट्रस्ट की सम्पत्ति का विनियोग करना |
(घ)ट्रस्ट की सम्पत्ति किराये से देने की व्यवस्था करना |
(ड)सदस्यों की बैठक बुलाना तथा आवश्यकता अनुसार उपसमितियों का गठन करना एंव उनके कार्यो पर नियंत्रण करना |

(छ)ट्रस्ट का लेखा नियमित रूप से रखने वावत व्यवस्था करना तथा ऑडिटर की नियुक्ति करना व् उसका पारिश्रमिक स्वीकृत करना, हिसाब का निरिक्षण कर उसको समिति द्वारा पास कराने हेतु मीटिंग बुलाना तथा बजट तैयार करना एंव पास करना |
(ज)कर्मचारी की नियुक्ति व् खर्च एंव सेवा शर्त निर्धारित करना,ट्रस्ट के कार्य हेतु सलाहकार,बकील,पंच आदि कि नियुक्ति करना,ट्रस्टियो को विवादों के समझोते एंव फैसला करने का पूर्ण अधिकार रहेगा |
(झ)अध्यक्ष का निर्वाचन करना तथा इनके अधिकार एंव कर्तव्य घोषित करना,ट्रस्ट के संचालन हेतु आवश्यक समितिया या उपसमितिया बनाना |
(ड.)ट्रस्ट का आयकर अधिनियम 1961 में पंजीयन करना तथा उससे संबंधित समस्त अन्य कार्यवाहिया करने का अधिकार रहेगा |
(ढ)जिनालय धर्मशाला,यात्री,आवास,खेल मैदान आदि धर्म विकास कार्य निर्माण करना,संरक्षित करना नव संचालन करना |
(ट)भारत सरकार,राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त राशि,भूमि या अन्य योजना इसी ट्रस्ट के अन्दर समाहित की जावेगी |

(26)अंकेक्षण :-
ट्रस्ट के आय व्यय का अंकेक्षण किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंन्ट्स फर्म द्वारा प्रतिवर्ष कराया जावेगा |

(27)विवाद :-
ट्रस्ट में आपसी मतभेद होने की दशा में ट्रस्टीज एंव प.पु.मुनिश्री अविचलसागरजी महाराज की सर्वानुमति से विवाद प्रकरण निपटाये जायेंगे,प.पु.मुनिश्री अविचलसागरजी महाराज का निर्णय आखरी होकर सब पर मान्य होगा |

(28)विविध :--
(अ)ट्रस्टीज ट्रस्ट का कार्य बिना किसी मेहनताने के करेंगे|
(ब)इस लेख में जिन जिन बातो का समाबेश नही है,वे सभी मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अनुसार बंधित रहेंगी |
(स)ट्रस्ट अन्य मामलो में जिनका प्रावधान यहाँ नही किया गया है|ट्रस्ट अधिनियम के नियम लागू होंगे |
(द)ट्रस्टीज इस ट्रस्ट को मध्यप्रदेश पब्लिक एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत करबायेंगे |
(इ)इस ट्रस्ट के विघटन की दशा म०प्र० पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अनुसार ट्रस्ट की बची हुई संपत्तिया एंव निधि किसी दुसरे ऐसे ट्रस्ट को सौप दी जाबेगी,जिस ट्रस्ट के उद्धेश्य इस ट्रस्ट के समान हो |

अत:उपरोक्त के प्रमाण स्वरूप आज दिनांक 08/12/2020 को यह न्यास घोषणा पत्र न्यास कर्ता ने स्वेच्छा पूर्वक शुद्ध एंव स्थिर,सही एंव मानसिक बुद्धि कि दशा में बिना किसी भावावेश में छल कपट,दोखे,भय,लालच आदि में आये बिना तैयार करवाया है तथा समझ लिया है व् स्वीकृति प्रदान करते हुए निष्पादित कर पंजीयन करा रहे है |

स्थान–उपपंजीयक कार्यालय दतिया हस्ताक्षर निष्पादनकर्ता

गबाह

1.नीरज जैन आयु 46 वर्ष पुत्र श्री विजयकुमार जैन निवासी बुन्देला कालोनी दतिया तहसील ब जिला दतिया म०प्र० |

2.रामबाबू प्रजापति आयु 35 वर्ष पुत्र किशोरी प्रजापति निवासी उनाव रोड दतिया तहसील ब जिला दतिया म०प्र०

----------------Please turn over/क्रप्या पृष्ठ पलटिये।----------------

DEPARTMENT OF REGISTRATION AND STAMPS

मैं/हम इस दस्तावेज के सभी पृष्ठों के विवरणों एवं प्रविष्टियों को, दस्तावेज के आईडी 20090808 तथा ई-स्टाम्प कोड 01010918122020008704 सहित, एतद् द्वारा अभिप्रमाणित एवं पुष्टि करते हैं, तथा मेरे/अपने निम्नांकित हस्ताक्षरों से इस दस्तावेज को निष्पादित भी करते हैं।

प्रथम पक्षकार/ पक्षकारों के हस्ताक्षर:
नाम तथा पिता का नाम:

(1) अनुपम चौधरी जैन पुत्र श्री एस. आर. चौधरी
नि. 817-कुशलनगर, गाँधीनगर के पास पड़ाव
ग्वालियर तह० व जिला ग्वालियर म.प्र.

द्वितीय पक्षकार/ पक्षकारों के हस्ताक्षर:
नाम तथा पिता का नाम:
(2) शैलेन्द्र जैन पुत्र कपूरचन्द्र जैन
निवासी गल्लामण्डी मुरार ग्वालियर
तह व जिला ग्वालियर म.प्र.

अन्य पक्षकार/ पक्षकारों के हस्ताक्षर:
नाम तथा पिता का नाम:
(3) महावीर जैन पुत्र शंकरलाल जैन
नि० गंगा भाई मोहनपुर संतर मुरार
ग्वालियर तह० व जिला ग्वालियर महावीर जैन

गवाह 1 का नाम
पता
हस्ताक्षर
आईडी का टाईप तथा नम्बर
प्रशान्त जैन पुत्र विजयकुमार
जैन नि. बुन्देला कॉलोनी दतिया
तह० व जिला दतिया म.प्र.

गवाह 2 का नाम
पता
हस्ताक्षर
आईडी का टाईप तथा नम्बर
रामबाबू प्रजापति पुत्र किशोरी
नि० उनाव रोड दतिया तहसील
व जिला दतिया म.प्र.

गवाह

रामबाबू प्रजापति

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

पंजीकरण मुद्रा :

इस दस्तावेज का इलेक्ट्रानिक पंजीयन दिनांक 18/12/2020 को क्रमांक MP09592020A1859048 दे कर किया गया है। जिसमें 26 पृष्ठ समाविष्ट हैं

स्टाम्प शुल्क	1000

पंजीयन शुल्क	500
प्रतिलिपि शुल्क	0
अधिक	0
योग	500

ANAND SHAROOP SHRIVASTAVA
उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय दतिया

MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS
MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS
P-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS